BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

दिनांक : 04.01.2020

<u>त्रि-सदस्यीय समिति (बीसीए) के द्वारा पारित अंतिम आदेश</u>

त्रि-सदस्यीयसमिति ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 07.12.2019 के द्वारा चुनाव पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची जिसमें सभी जिलों के निर्वाचित सदस्यों का नाम उद्धृत है, को सही मानते हुए असंतुष्ट पक्ष को 17.12.2019 तक अपनी शिकायत दर्ज करने का समय दिया था | दिए गए समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें/आपत्तियां से सम्बंधित जिलों से आये सभी पक्षों को नैसर्गिक न्यायप्रक्रिया के तहत निर्धारित तिथि 23.12.2019 एवं 24.12.2019 को त्रि सदस्यीय समिति द्वारा सुनी गई |

त्रि-सदस्यीयसमिति के द्वारा सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा गये दावे एवं उसके समर्थन में दिये गयेकागजातों के अवलोकन के उपरांत निम्नलिखित प्रासंगिक तथ्य उजागर होता है :

<u>1.भोजपुर जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :</u>

1. शिकायतकर्ता मिथिलेश कुमार तिवारी जिनको श्री सूफी खान ने प्रतिनिधित्व किया एवं श्री सुनील कुमार राणा को सुना गया | श्री सुनील कुमार राणा की शिकायत इस जिले के कार्यकारणी के कार्यों से हैं| चूँकि यह त्रि सदस्ये समिति का गठन जिले के वापसी विवाद के निपटारे के लिए किया गया है न कि किसी जिले के द्वारा किये गये कार्यों को देखना |
2. श्री सूफी खान का कहना है कि इस जिले के कार्य कलापों से क्षुब्ध हो कर उनका गुट 2017-18 में गठित हुआ है |
3. श्री मनोज कुमार पाण्डेय के द्वारा कहा गया इस जिले में कोई विरोधी खेमा नहीं है |इस जिले में 20 जुलाई 2018 तक सभी कुछ ठीक था | 20 जुलाई 2018 को माननीय लोकपाल महोदय के द्वाराश्री प्रमोद कुमार सिंह की एक शिकायतबी०सी०ए०को भेजी गई और इसी शिकायत शिकायत के निष्पादन के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष, BCA के द्वारा

पत्रांक 28 जुलाई 2018 से इस जिले के चुनाव को स्थगित कर दी गई | इस पत्र का जवाब जिले के द्वारा दी गई कि एक बार चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गईतो रोकी नहीं जा सकती और बी०सी०ए०को जिले के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है | यह भी कहा की जब माननीय लोकपाल ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया तो जांच के दौरान चुनाव रोकने का आदेश वैधानिक नहीं है | इसके बाद इस जिले ने अपना चुनाव संपन्न कराया |इस चुनाव को अध्यक्ष, BCA के पत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई और मामले को बी०सी०ए० के कार्यकारिणी को भेज दी गई |

4. श्री मनोज पाण्डेय के द्वारा यह भी कहा गया कि इस जिलेने अपने कार्यकारिणी की बैठक 8 फरवरी 2017 को की, जिसमें यह निर्णय लिया गया की इस जिले का चुनाव 03 मार्च 2017 को की जाएगी और इसी निर्णय के तहत 9 फरवरी 2017 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया | इस जिले सदस्य के सचिव एवं चुनाव अधिकारी के द्वारा अलग अलग नोटिस दिनांक 10 फरवरी 2017 को निर्धारित की गई है | गत कार्यक्रम के अनुसार 3 मार्च 2017 को चुनाव संपन्न कराया गया और उसकी जानकारी विधिवत बी०सी०ए०को दी गई | इस चुनाव में अरविंद कुमार अध्यक्ष एवं श्री मनोज कुमार अवैतनिक सचिव चुने गए | बी०सी०ए०के द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर चुने गए सदस्यों का नाम अपलोड कर दिया गया |बी०सी०ए० के सचिव के आदेश दिनांक 06 सितंबर 2017 अनुपालन में इस जिले के द्वारा निर्धारित संबंधन शुल्क भी जमा कराया गया है | इस जिले के द्वारा चुने गए विभिन्न आयु वर्ग की टीमें बी०सी०ए० के द्वारा संचालित टूर्नामेंट में भाग भी लिया है |अवैतनिक सचिव, बी०सी०ए० के द्वारा 6 सितंबर 2017 को जोनल मीटिंग की गई थी | माननीय सचिव बी०सी०ए०के द्वारा मौखिक आदेश चुनाव कराने का दिया गया

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

था | इसी आदेश के अनुपालन में इस जिले के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2017 को की गई जिसमे यह निर्णय ली गई कि दिनांक 02.09.2018 को SGM एवं AGM होगा और फिर 05.09.2018 को चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा | इसी बैठक में चुनाव पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है | इस आशय का पत्र दिनांक 18.09.2018 को निर्गत की गई और चुनाव सम्पन्न कराया गया |

5. श्री मनोज पाण्डेय ने यह भी कहा कि इस बीच श्री प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा अपनी शिकायत को वापस ले लिया गया और माननीय लोकपाल ने अपने आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार सिंह के केस को ख़ारिज कर दिया गया |
6. श्री मनोज पाण्डेय का यह भी कहना है कि इधर माननीय सचिव, बी०सी०ए० के द्वारा दिनांक 04.03.2018 को यह कहते हुए की इस जिले में विवाद है, एक त्रिसद्स्ये समिति की गठन कर के इस जिले के लिए आगामी टूर्नामेंट के लिए खिलाड़िओं को चुनने का निर्णय निर्गत की गई | इस जिले का कथन है कि यह आदेश इनको प्राप्त नहीं हुआ अतः इन्होंने भी अपनी टीम को बी०सी०ए० के टूर्नामेंट में भेज दिया गया जिसके कारण टूर्नामेंट बाधित हो गई | जिसके बाद माननीय सचिव, बी०सी०ए० के द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 29.03.2019 के द्वारा इस जिले के कार्यकारणी के चार सदस्यों को कारण बताओ नोटिस दी गयी | सदस्यों के द्वारा संयुक्त जवाब दिया गया है | उसके बाद माननीय सचिव, बी०सी०ए० के द्वारा दिनांक 09.04.2019 के पत्र के द्वारा इस जिले को निलंबित कर दिया गया | इस निलंबन आदेश को इस जिले के द्वारा माननीय लोकपाल के समक्ष चुनौती दी गयी है और माननीय लोकपाल ने अपने आदेशों में

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

इस पत्र के विरुद्ध कई बार अपना मंतव्य/टिप्पणी दी है | माननीय लोकपाल के द्वारा इस जिले के मामले को भी BCA के त्रि सदस्ये समिति को भेज दिया गया |

7. यह समिति यह पाती है कि इस जिला में मुख्यतः निलंबन का मामला है जो BCA के संविधान के नियम 45 (7) के आलोक में 09.04.2019 से तीन माह के उपरांत कानूनी तौर पर 09.07.2019 से स्वतः समाप्त हो गयी है | हालाँकि BCA के COM ने अपने record को ठीक रखने के लिए 15.11.2019 के बैठक में इस जिला के निलंबन को वापस ले लिया है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

अतः यह समिति इस निर्णय पर पहुँचती है कि भोजपुर जिला क्रिकेट संघ में कोई विवाद नहीं है और इसकी जो कार्यकारणी जिनके सदस्यों का नाम माननीय चुनाव पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में है, वही इस जिला संघ के कार्यकारणी के वैधानिक सदस्य हैं |

2. **गया जिला क्रिकेट संघ के संबंध में :**

इस जिले में दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष (एक पक्ष श्री मास्टर पुर्लेश्कर गुट हैं और दूसरा पक्ष श्रीमती रेणुका पालित गुट हैं) एक दुसरे के विरुद्ध अपनी अपनी शिकायत की है |

श्री मास्टर पुर्लेश्कर के द्वारा प्रस्तुत तथ्य:

1. इनका कथन है कि इस जिला क्रिकेट संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री विष्णु शंकर सिंह के मृत्युके उपरांत, BCA के पूर्व सचिव के 17.10.2018 के आदेश के अनुपालन में इस जिला के क्रिकेट संघ

के सचिव श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा विधिवत चुनाव करवाई गयी जिसमे श्री मास्टर पुर्लोश्कर को अध्यक्ष एवं श्री संजय कुमार सिंह को सचिव के पद पर निर्वाचन हुआ जिसकी मान्यता BCA के द्वारा दी गयी है | इनका कथन है कि इनका चुनाव विधिसम्मत है |

<u>श्रीमती रेणुका पालित के द्वारा समर्पित तथ्य</u>:

1. इनका कथन है कि इस जिले में विवाद अध्यक्ष श्री विष्णु शंकर सिंह के मृत्यु दिनांक 27.09.2018 के उपरांत उत्पन्न हुई है | BCA के पत्रांक 18.02.2017 के अनुपालन में इस जिले के कार्यकारिणी में श्री विष्णु कुमार सिंह अध्यक्ष के पद पर, श्रीमती रेणुका पालीत उपाध्यक्ष के पद पर और श्री संजय कुमार सिंह सचिव के पद पर आसीन हुए थे |
2. इनका आगे यह कथन है कि इन्होने दिनांक 10.10.2019 को पत्र निर्गत करते हुए 01.11.2018 को आम सभा की बैठक अध्यक्ष पद पर चुनाव हेतु आहूत की गयी | 01.11.2018 की बैठक में श्री अविनाश कुमार सिंह को अध्यक्ष के पद पर चुनाव किया गया |
3. इस बीच समाचार पत्रों के हवाले शिकायतकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि सचिव श्री संजय कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव श्री मुकेश प्रसाद सिन्हा के द्वारा एक आम बैठक दिनांक 04.11.2018 को आहूत की गई है जिसमें इस जिले के कार्यकारिणी के सभी पदों पर चुनाव कराया जाएगा | सचिव श्री संजय कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव श्री मुकेश प्रसाद सिन्हा के इस संस्था विरोधी कार्य के लिए 01.11.2018 की बैठक में यह निर्णय लिया गया की उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा कि जाए | इस निर्णय के अनुपालन में श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री मुकेश प्रसाद सिन्हा को पत्रांक 01.11.2018 के द्वारा निलंबित करते हुए

कारण पृच्छा की गई | पत्रांक 01.11.2018 को दोनों व्यक्तियों को स्पीड पोस्ट से उनके आवासीय पते पर भेजा गया | श्री मुकेश प्रसाद सिन्हा ने पत्र को प्राप्त किया जबकि श्री संजय कुमार सिंह ने उक्त पत्र को लेने से इंकार कर दिया |

4. श्री संजय कुमार सिंह ने 04.11.2018 की बैठक को किया और अपने अध्यक्षता में एक कार्यकारणी की गठन कर लिया और उसकी मान्यता पूर्व सचिव, BCA के समर्थन से अपने पक्ष में करवा लिया गया |इधर इनके द्वारा एक आम सभा आहूत करके नए सचिव एवं संयुक्त सचिव का चुनाव कराया गया |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

दोनों पक्ष के कागजातों को देखने से यह विदित होता है की दोनों गुट ने विधिसंगत कार्य नहीं किया है अतः यह त्रि-सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि माननीय चुनाव पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची को, जो 23.09.2018 तक की स्थिति के अनुसार है, को सही मानती है और चूँकि इस जिला संघ के अध्यक्ष का देहांत हो चुका है अतः अध्यक्ष पद के लिए विधिसम्मत चुनाव करवा लें। यह चुनाव इस निर्णय के १२० दिन के अंदर अनिवार्य रूपसे कराकर बीसिए को सूचित करे |

3. **बेगुसराय जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :**

शिकायतकर्ता श्री रणधीर कुमार के द्वारा अपने समर्थन में कई तथ्य प्रस्तुत किये गये लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा माननीय लोकपाल के समक्ष दायर याचिका में माननीय लोकपाल के द्वारा इस जिले के विवाद के निबटारे हेतु BCA के त्रि-सदस्यीय समिति को भेजने में अपना सहमती नहीं दी गयी थी और उनका केस BCA के त्रि-सदस्यी समिति को नहीं भेजा गया |

दुसरे पक्ष श्री संजय कुमार सिंह गुट की ओर से श्री एम० के० विरेश ने अपने समर्थन में कहा गया की बेगुसराय जिला क्रिकेट संघ में श्री संजय कुमार सिंह २०१० से ही सचिव के पद पर हैं | इन्होने यह भी कहा की २०११ में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने श्री अजय नारायण शर्मा गुट को सही माना और यह आदेश उच्चतम न्यायलय तक स्थगित नहीं हुआ और इसी समिति के द्वारा श्री संजय कुमार सिंह गुट को मान्यता दी गयी है | इनका यह भी कथन है कि २०१० में पटना उच्च न्यायलय से लेकर उच्चतम न्यायालय यह जिला क्रिकेट संघ श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा ही प्रतिधित्व किया है | इनका यह भी कहना है कि यही शिकायतकर्ता BCA के कार्यकारणी के सामानांतर कार्यकारणी में सचिव के पद पर हैं और उन्ही के अध्यक्ष के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बाबत याचिका दायर कर रखा है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि माननीय लोकपाल के द्वारा इस जिले के विवाद के निबटारे हेतु BCA के पास नहीं भेजा गया है अतः जब तक इस जिले का विवाद का निबटारा अंतिम रूप सेमाननीय लोकपाल के द्वारा नहीं किया जाता है तब-तक इस जिला क्रिकेट संघ का संचालन माननीय चुनाव पदाधिकारी (2019) के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में उल्लेखित पदाधिकारीगण ही करेंगे |

4. **लखीसराय जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :**

शिकायतकर्ता श्री अरबिंद कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तुत तथ्य :

1. शिकायतकर्ता के द्वारा कहा गया कि BCA के तत्कालीन सचिव के आदेशानुसार इनके गुट के द्वारा इस जिले का चुनाव कराया गया |
2. इनके द्वारा यह भी कहा गया कि सन २०११ में BCA के तदर्थ समिति के द्वारा इनकी मान्यता दी गयी है और तब से इनका गुट इस जिला क्रिकेट संघ का संचालन किया जा रहा है |

श्री जयशंकर सिंह का उत्तर :

1. इन्होने कहा कि २०११ में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने श्री अजय नारायण शर्मा गुट को सही माना और यह आदेश उच्चतम न्यायलय तक स्थगित नहीं हुआ और इसी समिति के द्वारा श्री जयशंकर सिंह गुट को मान्यता दी गयी है | यही नहीं, इस जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री अजय नारायण शर्मा ही हैं |
2. इन्होने यह भी कहा की BCA के तत्कालीन सचिव के द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2017 के अनुपालन में पुनः गठित कर कर भेज दी गयी थी लेकिन, तत्कालीन सचिव के द्वारा BCA के ऑफिसियल वेबसाइट पर जानबूझ कर सिर्फ दो पदाधिकारीगण का नाम upload किया गया |
3. इनके गुट के द्वारा BCA का अघतन सम्बधता शुल्क भी जमा की गयी है |
4. श्री जयशंकर सिंह ने बतायाकि शिकायतकर्ता केगुट के तथाकथित अध्यक्ष प्रेमरंजन पटेल बीसीसीअई में एक अन्यअसम्बद्ध राज्य संघ(सीएबी) के भी अध्यक्ष थे और रातोंरात लखीसराय जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर दावेदारी करने लगे| बीसीए के तत्कालीन सचिव की मिलिभगत से इनका नाम वेबसाइटपर अपलोड भी कर दिया गया जो बिलकुल गलत और पक्षपातपूर्ण कारवाई है|

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायतकर्ता के गुट के अध्यक्ष BCA के सामानांतर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं | यह समिति यह भी पाती है कि २०११ में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने श्री अजय नारायण शर्मा गुट को सही माना और यह आदेश उच्चतम न्यायलय तक

5/11/20

<u>स्थगित नहीं हुआ और इसी समिति के द्वारा श्री जयशंकर सिंह गुट को मान्यता दी गयी है | इनका यह भी कथन है कि २०१० में पटना उच्च न्यायलय से लेकर उच्चतम न्यायालय यह जिला क्रिकेट संघ श्री जयशंकर सिंह गुट के द्वारा ही प्रतिधित्व किया है | अतः यह समिति आदेशित करती है कि लखीसराय जिला क्रिकेट संघ का संचालन श्री जयशंकर सिंह गुट के द्वारा ही किया जायेगा | यह समिति श्री जयशंकर गुट को आदेशित करती है कि इस जिले के अन्य पदाधिकारीगणों का नाम अविलम्ब BCA को भेज दिया जाये,जिसेबीसीए के अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया जाये|</u>

5. **<u>बक्सर जिला क्रिकेट संघ के मामले में</u>:**

इस जिले में जिले कार्यकारणी के सदस्यों के बीच आपसी विवाद का मामला है | यह एडमिटेड तथ्य है कि इस जिले में विवाद उत्पन्न होने के पहले श्री सुरेश कुमार अग्रवाल अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे और श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा सचिव के पद पर पदस्थापित थे | श्री अग्रवाल एवं श्री दुर्गा वर्मा के बीच आपसी विवाद, बिहार क्रिकेट संघ के सचिव के पत्रांक 17.10.2018 के निर्गत होने के उपरांत शुरू हुई | यह भी एडमिटेड तथ्य है कि इस जिले की कार्यकारिणी की बैठक 24.10.2018 एवं 26.10.2018 को बुलाई गई थी |

श्री अग्रवाल गुट का कथन है की 24.10.2018 के बैठक में सचिव श्री दुर्गा वर्मा के द्वारा हस्तलिखित 19 क्लबों का नाम, उनके अध्यक्ष एवं सचिवों का नाम दिया गया | इस सूची के अवलोकन से यह विदित हुआ कि कई क्लबों में एक ही परिवार के या उनके रिश्तेदार अध्यक्ष या सचिव बने हुए हैं | इस संबंध में सचिव श्री वर्मा से पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 दिन में उपलब्ध कराने के लिए बोले, जिस पर बैठक के करवाई 26.10.2018 के लिए स्थगित हो गई | 26.10.2018 कोजब सचिव श्री दुर्गासे जानकारी लेने की कोशिश की

गई तो उन्होंने आगामी बैठक जो 30.10.2018 को निर्धारित की गई थी, को देने की बात कही | श्री अग्रवाल गुट का यह भी कथन है कि 29.10.2018 को समाचार पत्र से यह ज्ञात हुआ की 26.10.2018 को ही चुनाव संबंधी निर्णय ले ली गई है और 30.10.2018 को विशेष आम सभा आहूत की गई है | इस बात की जानकारी होते ही 29.10.2018 को ही सचिव से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो सचिव श्री दुर्गा के द्वारा बताया गया की बिहार क्रिकेट संघ के सचिव के द्वारा उन्हें आदेश मिला है की श्री अग्रवाल गुट को कोई भी कागजात ना ही दिया जाए और ना ही दिखाया जाए | इस पर श्री अग्रवाल ने लिखित रूप से सचिव श्री दुर्गा को 30.10.2018 के बैठक को स्थगित करने को कहा लेकिन श्री दुर्गा द्वारा पत्र नहीं लेने के उपरांत श्री अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति निकालकर जिले संघ के सभी सदस्यों को आगाह किया कि उक्त बैठक गैर वैधानिक है | यह समाचार 30.10.2018 को प्रकाशित भी हुआ लेकिन वर्मा ने बैठक किया और 18.11.2018 को चुनाव की तिथि की घोषणा की | श्री अग्रवाल ने 31.10.2018 को सचिव श्री दुर्गा से स्पष्टीकरण की मांग की और सचिव श्री दुर्गा के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण उनको 05.11.2018 के पत्र के द्वारा पदच्युत कर दिया गया तब जाकर के उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया जिसमें उन्होंने लिखित कहा है कि बीसीए, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए उनको किसी भी प्रकार काकागजात नहीं दिखाया जाए और ना ही दिया जाए | श्री अग्रवाल का यह भी आरोप है कि एसोसिएशन का कोई भी बैंक खाता आज तक नहीं खुला है और ना हीं कोई बाइलॉज गठित किया गया है | इनका कहना है कि श्री दुर्गा के द्वारा कराये गये गैर क़ानूनी चुनाव में BCA के सामानांतर संघ CAB के लोग चुनकर आये हैं |

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

श्री दुर्गा गुट का कथन है कि वे १९९१ से इस जिला संघ के सचिव हैं | यह चुनाव BCA के आदेश पर करवाया गया है और विधिसम्मत तरीके से करवायी गयी है | इनका कहना है कि इस चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर श्री संजय कुमार रॉय का निर्वाचन हुआ है |

कागजातों के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस जिले का चुनाव बगैर 21 दिनों के नोटिस का कराया गया है |जिस बैठक में चुनाव की तारीख निर्धारित की गई वह बैठक विशेष आम सभा थी जिसे भी बगैर 15 दिनों के नोटिस का आहूत किया गया | श्री अग्रवाल जिले के अध्यक्ष थे और उनका कथन है कि विशेष आम सभा एवं आम सभा बगैर उनके जानकारी के आहूत की गई | श्री अग्रवाल ने यह भी कहा है कि 26.10.2018 की कार्यवृति उनके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है जबकि वह बैठक उन्ही की अध्यक्षता में हुई थी और उक्त बैठक में विशेष आम सभा या आम सभा की बैठक की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी क्योंकि उक्त तिथि तक सचिव के द्वारा पुरे सदस्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी |

चूँकि श्री अग्रवाल खुद जिले के अध्यक्ष हैं और उनके जानकारी के बगैर विशेष आम सभा और आमसभा आहूत की गयी और विशेष आम सभा और आम सभा की बैठक बगैर 15 एवं 21 दिनों के नोटिस पर आहूत की गयी है अतः इस चुनाव को विधि संगत नहीं कहा जा सकता है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

<u>यह त्रि सदस्ययीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है की इस जिला क्रिकेट संघ का चुनाव विधिसम्मत नहीं है अतः पहले के कार्यरत कार्यकारणी, जिनका नाम माननीय चुनाव पदाधिकारी के मतदाता सूची में है, ही विधि संगत कार्यकारणी है|</u>

6. <u>मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में:</u>

इस जिला संघ मे तीन समूह मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं| एक समूह श्री रवि किरण के नेतृत्व में है, दूसरा समूह श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में है एवं तीसरा समूह श्री उत्पल रंजन के नेतृत्व में है | तीनों पक्षों को सुना गया और उनसे उपलब्ध निम्नलिखित जानकारियां दी गयी |

मानक	श्री रवि किरण समूह	श्री पंकज कुमार समूह	श्री उत्पल रंजन समूह
(क) जिला क्रिकेट संघ की स्थापना वर्ष	1981	2010	2018
(ख) जिला क्रिकेट संघ की बैंक खाता कब खोली गई और किसके द्वारा संचालित की गई	2001, अभी तक संचालित इसी समूह के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है	2015, इस समूह के द्वारा संचालित 2017 तक	कोई इनफार्मेशन नहीं है, यदि खुला भी होगा तो 2018 में या उसके बाद
(ग) बीसीए के आम सभा एवं विशेष आम सभा मे भाग लेने वाले प्रतिनिधि/ पदाधिकारी, जिले के किस समूह कोप्रतिनिधित्व करते हैं	गत वार्षिक आम सभा 14.04.18 एवं गत विशेष आम सभा 02.09.18 तक सभी आम सभाओं में इस समूह के द्वारा भाग लिया गया	कभी भाग नहीं लिया गया	इस समूह के गठन के बाद कोई आम सभा नहीं हुई हैं
(घ)जिले के किस समूह के द्वारा सम्बन्धता शुल्क 2017- 18 तक जमा की गई है	2017-18 तक का सम्बन्धता शुल्क इस समूह के द्वारा जमा की गयी है	कभी जमा नहीं किया गया है	नहीं जमा किया गया है
(ङ:) बीसीए के द्वारा	2009-10 में सिर्फ	कभी नहीं मिला	कोई राशी नहीं दी

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

को दिया गया	तक नहीं किया गया है		
(च) बी०सी०ए० के माननीय सचिव के द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 18.02.17 के अनुपालन में जिलों के द्वारा भेजी गई कार्यकारिणी को, बीसीए के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया या नहीं	26.02.17 को चुनाव कराये और BCA को सूचित किया और इनके सदस्यों का नाम वेबसाइट पर अपलोड किया गया	कोई अनुपालन नहीं की गयी है न ही इनका नाम वेबसाइट पर अपलोड किया गया	XXXXX
(छ)जिलों के कार्यकारिणी के सदस्यों का, बीसीए के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद, किसी और व्यक्ति या समूह के द्वारा विरोध दर्ज कराई गई या नहीं और यदि विरोध दर्ज कराई गई तो बीसीए के कार्यकारिणी के द्वारा कोई निर्णय लिया गया या नहीं	इस समूह के नाम को वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद किसी प्रतिद्वंधि के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी	इनका नाम कभी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है	इनका नाम BCA के कार्यकारणी के जानकारी के बगैर खोले गये नये वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसका विरोध बांकी दोनों समूहों के द्वारा माननीय लोकपाल के समक्ष की गयी है।
(ज) जिलों के अपने आम सभा एवं कार्यकारिणी के बैठकों की कार्यवृति	जमा किया गया है	कोई कार्यवृति जमा नहीं किया गया है	XXXXX
(झ) बी० सी० ए०	17.02.2017 के	कोई अनुपालन नहीं	XXXXX

जिलों के किस समूह को दी गई और उसका अनुपालन जिलों के द्वारा किया गया या नहीं	ने 17.10.2018 का लिखित विरोध किया		
(ट)बी० सी० ए०केद्वाराआजतकमान्यताप्राप्तजिलेकीकार्यकारणी	इस समूह का मान्यता आज तक रद्द नहीं किया गया है	कभी मान्यता नहीं दी गयी, सिर्फ 2015 के चुनाव में मत देने का आधिकार, चुनाव पदाधिकारी के द्वारा दे दी गयी थी	2019 में मान्यता दी गयी है

उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि रवि किरण समूह सबसे पुराना है एवं उनके विरुद्ध BCA के नियम के तहत आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। यही नहीं श्री उत्पल रंजन, श्री पंकज कुमार समूह में कोषाध्यक्ष थे और उत्पल रंजन समूह के मनोज कुमार, रवि किरण गुट में संयुक्त सचिव थे | सुनवाई के दौरान श्री उत्पल रंजन ने यह स्वीकार किया की रवि किरण समूह के पूर्व सचिव के कार्यकाल में उन्होंने क्रिकेट खेला है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

अतः यह त्रि सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्री रवि किरण समूह ही मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ का संवैधानिक कार्यकारणी हैं।

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

7. **सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :**

शिकायतकर्ता श्री वीनित ने कहा की इस जिला संघ के पुराने कार्यकारणी को BCA के COM के द्वारा disaffiliate कर दिया गया था और उसके बाद 2019 में इस जिला संघ में विधिसम्मत तरीके से चुनाव सम्पन कराया गया और उस चुनाव में इनका गुट निर्वाचित हुआ है |इस जिला संघ में पुराने कार्यकारणी को BCA के तत्कालीन COM के द्वारा दो साल का संबद्धता शुल्कनहीं देने के कारण disaffiliateकर दिया गया था | पुराने कार्यकारणी की ओर से श्री नीरज सिंह ने प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि उनके द्वारा शुरू से लेकर 2019 तक का संबद्धता शुल्कलगातार जमा की गयी है और इस कथन के समर्थन में कागजात भी पेश किया | इन्होने सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ के २०१२ से २०१९ वित्तीय वर्ष तक के अंकेक्षित लेखा-जोखा सहित कर्य्वृतियों का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया| इनका यह भी कथन है कि समाचारपत्रों से इनको जानकारी मिली कि इनके गुट का संबद्धता खत्म करदी गयी है तो इन्होने पहले बीसीए के तत्कालीन कार्यकारिणी/पदाधिकारियों को मेल द्वारा सुचित करते हुए स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया| जब कोई जवाब प्राप्त नही हुआ तो तत्कालीन माननीय लोकपाल के समक्ष अपनी याचिका दायर किया जिसके सुनवाई के उपरांत इस जिले के मामले को BCA के त्रि-सदस्यिय समिति को भेज दी गयी | श्री नीरज सिंह ने यह भी बताया की तत्कालीन सचिव श्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने निहायत निरंकुश और असम्बैधानिक तरीके से न सिर्फ सीतामढ़ी, बल्कि, अन्य जिला संघों में भी अवैध रूप से करवाई करते हुए लोकतान्त्रिक तरीके से निर्वाचित कार्यकारिणी की जगह पर अपने पसंदीदा लोगों को काबिज करवाने का कार्य किया|

14/11/20

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

श्री नीरज सिंह(सीतामढ़ी ज़िला क्रिकेट संघ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि) के द्वारा दिये गये कागजातों के अवलोकन से यह विदित होता है कि पूर्व के COM के द्वारा इस पुराने कार्यकारणी को जो disaffiliation किया गया वो error of record है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि इस जिले के पुराने कार्यकारणी को तत्कालीन COM के द्वारा जो संबद्धता रद्द की गयी थी वो error of record पाया गया , अतः यह समिति पुराने कार्यकारणी, जो एक तदर्थ समिति थी, को बहाल करते हुए उनसे अपेक्षा करती है कि छह माह के अन्दर अपने संविधान के मुताबिक विधिसम्मत चुनाव करवाएंगे |

8. **मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :**

इस जिले में बी०सी०ए० के द्वारा अभी तक किसी दुसरे ग्रुप को मान्यता नहीं दी गई है |

इस जिले ने फरबरी 2017 में और फिर 2018 में विधि संगत चुनाव कराया है | इससे पहले २०१३ में चुनाव कराया था | 2017 एवं 2018 के दोनों चुनावों में श्री विमल कुमार सिंह अध्यक्ष हैं |

श्री कालीचरण के द्वारा कहा गया कि इस जिला संघ को तत्कालीन सचिव के द्वारा 11.04.2019 को निलंबित कर दिया गया था लेकिन BCA के संविधान के मुताबिक यह निलंबन तीन माह के उपरांत यानि की 11.07.2019 के प्रभाव से स्वतः समाप्त हो गयी |

यह समिति ने BCA के संविधान का अवलोकन किया, नियम 45 (7) के मुताबिक इस जिला का निलंबन 11.07.2019 से कानूनी तौर पर स्वतः समाप्त हो जाती है और BCA के COM ने अपने

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

record को ठीक रखने के लिए 15.11.2019 के बैठक में इस जिला का निलंबन को वापस ले लिया है |

हालाँकि, एक शिकायत श्री राकेश कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है जिनका कहना है कि इस जिला में उनके गुट का गठन 2012-13 में हुआ और इनका बैंक खाता 2014-2015 में खोला गया | इनका यह भी कहना है कि इनके गुट के द्वारा BCA चुनाव 2015 में मतदान भी दिया था और 2016-17 में दोनों गुट के द्वारा संयुक्त रूप से जिला क्रिकेट टीम का गठन किया था |श्री कालीचरण के द्वारा बताया गया की राजनीती के तहत श्री राकेश गुट को मतदान करवाया गया था जब की श्री कालीचरण गुट के श्री सुबीर चन्द्र मिश्रा 2015 के चुनाव में सचिव पद के उमीदवार थे तो उसी जिला के किसी दुसरे गुट से मतदान करवाना और कुछ नहीं सिर्फ राजनीती है |

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मधुबनी जिला क्रिकेट संघ में किसी प्रकार का विवाद नहीं है |यह समिति यह भी पाती है कि जहाँ तक श्री राकेश गुट का सवाल है वह अप्रसांगिक और बिना तथ्यों पर आधारित है क्योंकि एक जिला में एक ही गुट रह सकता है और जब एक गुट का सदस्य चुनाव में उम्मीदवार है और चुनाव लड़ता है तो उसी जिला के दुसरे गुट के द्वारा मतदान करवाना विक्षुब्ध/अनुशासन्हीनता को बढ़ावा देने वाली तथा द्वेषपूर्ण कारवाई ही हो सकती है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

अतः यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि जिस कार्यकारणीको चुनाव पदाधिकारी (२०१९) स्वीकार किए है और 2017 में कार्यरत था वह संबैधानिक व बिधिसम्मत है और यही कार्यकारणी इस जिला क्रिकेट संघ का संचालन करेगी.

4/1/20

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

FINAL CONCLUSION:

इस त्रि-सदस्यीय समिति के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.12.2019 से प्रभावित पक्षों से 17.12.2019 तक आपत्तियों/दावे देने का समय दिया गया | प्राप्त आपत्तियों औरसुनवाई को ध्यान में रखते हुए यह त्रि संदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जब तक माननीय लोकपाल, बिहार क्रिकेट संघ या किसी सक्षम न्यायलय के द्वारा कोई आदेश

प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक बिहार क्रिकेट संघ केनिम्नलिखित पुर्ण सदस्यों की कार्यकारणी के सदस्यों की मूलतः स्थिति निम्नप्रकार से रहेगा और उन्ही को अपने अपने जिलों में क्रिकेट संबंधी निर्णय एवं क्रिकेट संचालन कराएँगे | बिहारक्रिकेट असोसीएशन के चुनाव के कारण रिक्त पदों के परिवर्तन के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या सामानांतर गुट BCA या जिला संघ के नाम पर किसी प्रकार की क्रिकेट गतिविधि करती है तो वे संघ विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होंगे और उचित कारवाई/ सजा के भागी होंगे | त्रि-सदस्यीय समिति यह निर्णय बहुमत से ले रही है|

SL No.	FULL MEMBERS	PRESIDENT	VICE-PRESIDENT	HONORARY SECRETARY	JOINT SECRETARY	HONORARY TREASURER
1	BHOJPUR DCA	KUMAR ARVIND	DR. SHUSHIL KUMAR RUNGTA	MANOJ KUMAR	MANOJ KR. PANDEY	VINIT KUMAR RAI
2	GAYA DCA	VISHNU KUMAR SINGH (NOW DEAD)	RENUKA PALIT	SANJAY KUMAR SINGH	MUKESH PD. SINHA	SANJEET KR. SUMAN
3	BEGUSARAI DCA	RAJIV KUMAR	DHARMENDRA KUMAR	SANJAY KUMAR	MRITUNJAY KR. BIRESH	RAJIV RANJAN KUSHWAHA
4	LAKHISARAI DCA	AJAY NARAIN SHARMA	N/A	JAISHANKAR SINGH	N/A	N/A
5	BUXAR DCA	SURESH KUMAR AGARWAL	RAJ KUMAR SINGH	DURGA PD. VERMA	FAIZAL ALAM	VINAY KR. SINGH
6	MUZAFFARPUR DCA	RAVI KIRAN	DR. RAJESH	UDAY SHANKAR SHARMA	MANOJ KUMAR	SAMANT KUMAR
7	SITAMARHI DCA	MANOJ KR. SINGH (CHAIRMAN)	INDU KUMARI (MEMBER)	GYAN PRAKASH (CONVENER)	R. K. AGGARWAL (TREASURER)	AKHILESH KUMAR (MEMBER)
8	MADHUBANI DCA	PROF. VIMAL KUMAR SINGH	ASHOK KUMAR	KALICHARAN	PANKAJ RATHOD	AJIT KR. CHOUDHARY

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

उपरोक्त पुर्ण सदस्यों की कार्यकारणी के सदस्यों की सूची/उक्त मूल कार्यकारणी बिहार क्रिकेट असोसीएशन के ज़िला सम्बंधित विवाद निपटारा हेतु गठित समिति के निर्णयको ही वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाए।

	4/1/2020	
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
त्रि सदस्यीय	त्रि सदस्यीयत्रि	त्रि सदस्यीय